



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०.एल०ए० / एस०एस०-1 / श०स्था०नि० /

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता

जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA), भागलपुर
जिला- भागलपुर


महाराज,

भागलपुर

जिला शहरी विकास अभिकरण, (सासाराम) के वर्ष सितम्बर 2011 से सितम्बर 2016 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 772/16-17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि



भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए० / एस.एस.-1 / श०स्था०नि० / 14642/436

दिनांक- 16.02.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, भागलपुर

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना
समाजिक प्रक्षेत्र-।

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.-772/16-17

प्रस्तावना

भाग-।

1	कार्यालय का नाम	कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर
2	मुख्य अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री सुधीर कुमार दास, शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
3	अधीक्षण अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री उमाकान्त ठाकुर, शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
4	कार्यपालक अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री मनोज कुमार, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर
5	लेखा की अवधि	सितम्बर/2011 से सितम्बर/2016 तक
6	लेखा परीक्षा की अवधि	दिनांक 24.10.2016 से 04.11.2016 तक
7	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	प्रमण्डल के माह 09/2011 से माह 09/2016 तक के लेखाओं की नमूना जाँच की गयी। माह 03/2013, 07/2013, 05/2014, 03/2016 एवं 05/2016 के लेखाओं की विस्तृत जाँच एवं माह 09/2012, 08/2013, 11/2014, 01/2016 एवं 06/2016 के लेखाओं की अंकगणितीय जाँच की गयी। उक्त अवधि के लिए स्थापना से संबंधित अभिलेखों की भी जाँच की गयी।
8	लेखा परीक्षा दल के सदस्यगण	श्री अखिलेश चन्द्र ठाकुर, व0ले0प0अ0 श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल, स0ले0प0अ0 श्री मोहनीश भास्कर, स0ले0प0अ0 श्री रामजतन कुमार, ले0प0
9	क्या कार्यपालक अभियन्ता के साथ विचार- विमर्श हुआ	हाँ

दावा अस्वीकरण प्रमाणपत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग-II
खण्ड-क - शून्य

भाग-II
खण्ड-ख

कंडिका -1 गंदी बस्ती योजनान्तर्गत साहेबगंज मुस्लिम टोला भागलपुर की आधारभूत संरचना निर्माण की समीक्षा

एकरारनामा सं० एवं वर्ष - 09F2/2012-13
एकरारनामा की तिथि - 17.08.12
एकरारित राशि - रु 10598900
एजेन्सी का नाम - तिरूपति नाथ
कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि - 17.08.12/16.03.13
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि- अपूर्ण
अद्यतन भुगतान - रु 8520869 (मापी पु० सं० 17/2012, पृ० 93)

उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जांच के क्रम में निम्न आपत्तियां पाई गई-

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रु 16 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

सरकार को अपने एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराना एवं पिछड़ेपन को दूर करना पहली प्राथमिकता होती है। इसी प्राथमिकता को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए एवं उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजनाएं स्वीकृति की जाती है। जिसे योजनाएं स्वीकृति के साथ एक निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होता है ताकि उद्देश्य की पूर्ति एवं उसका लाभ ससमय लाभुकों को प्राप्त हो सके।

उक्त कार्य से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि कार्य परिमाण विपत्र में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं कराया गया था जिसके कारण कराये कार्य का अधोमानक होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम सं०	आइटम का नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	Earthwork in excavation (50 m lead)	1854.37m ³	1653.84m ³	200.53m ³	132.90/m ³	26650.00
2	Providing designation 100 A one bricks	4010.50m ²	3716.38m ²	294.12m ²	164.40/m ²	48353.00
3	Centering strutting including strutting	187.50m ²	49.76m ²	137.74m ²	122.85/m ²	16921.00
4	Bricks work with bricks of Class 100A	59.28 m ³	42.56m ³	16.72m ³	3107.70/m ³	51961.00
5	15 mm Cement Plaster	3355.80 m ²	435.62m ²	2920.18m ²	118.40/m ²	345749.00
6	Reinforcement for RCC	31405.14 kg	29345.74 kg	2060.4 kg	61/kg	125684.00
7	Providing and laying in position cement concrete	38.79 m ³	22.44m ³	16.35m ³	2286.20/m ³	37379.00
8	Bricks work with bricks of Class 100A	113 m ³	80.03m ³	32.97m ³	2920.70/m ³	96295.00

9	Bricks work with bricks of Class 100A	3943.35 m3	2449.50m3	1493.85m3	414.70/m3	619500.00
10	Providing 12mm CP	5934m2	2746.79m2	3187.21	72.70/m2	231710.00
				TOTAL		1600202.00

पुनः पाया गया कि उक्त योजनांतर्गत कुल 345 अदद शौचालय का निर्माण किया जाना था जबकि केवल 210 अदद शौचालय का ही निर्माण किया गया था। इसी प्रकार 1 अदद सामूहिक शौचालय का निर्माण किया जाना था जो स्थल उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण नहीं किया गया था। तथा 10 अदद इंडिया मार्क-3 चापाकल, 6 अदद सोलर स्ट्रीट लाईट लगवाना था वह भी नहीं किया गया था।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना 8.93 लाख।

एफ-2 एकरारनामा के क्लॉउज -2 के अनुसार कार्य समाप्ति में विलम्ब होने के उपरान्त प्रतिदिन की विलम्ब के लिए 0.5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से एकरारित राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है।

कार्यालय कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर के उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया गया था। प्रमण्डल द्वारा संवेदक के विपत्र से 166497 रुपये, Time Extention के रूप में काटा गया था। जबकि प्रावधानानुसार 10 प्रतिशत की दर से 1059890 रुपये, क्षतिपूर्ति राशि के रूप में संवेदक के विपत्र से कटौती किया जाना था जो नहीं किया गया। इस प्रकार 893393 रुपये क्षतिपूर्ति राशि के रूप में कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया।

जवाब में बताया गया कि विपत्र राशि के 10 प्रतिशत की दर से समयवृद्धि की कटौती की गई है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफ-2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लॉउज का अनुपालन नहीं किया गया।

(3) स्वीकृत परिमाण विपत्र से अधिक मात्रा में कार्य किए जाने के कारण अधिक भुगतान राशि रू0 0.26 लाख

उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कुछ आयटम में स्वीकृत परिमाण विपत्र से अधिक मात्रा में कार्य किए जाने के कारण संवेदक को अधिक भुगतान किया गया था जैसे कि परिमाण विपत्र के कम सं0 11 पर Centering strutting propping etc. से संबंधित कार्य 3288 m² में किया जाना था जबकि मापी पुस्त के अनुसार उक्त कार्य 3382.13 m² में किया गया था इस प्रकार 94.13 m² अधिक मात्रा में उक्त कार्य किया गया था। उसी प्रकार कम सं0 27 पर Carriage of Material में 831.34 m³ Stone chips का उपयोग किया जाना था जबकि मापी पुस्त के अनुसार 844.48 m³ Stone chips के लिए भुगतान किया गया था जो निर्धारित मात्रा से 13.14 घनमी0 अधिक था। इस प्रकार संवेदक को उक्त अधिक मात्रा में कार्य किए जाने के कारण राशि रू0 26204.00 का भुगतान किया गया था। विवरण इस प्रकार है-

(i) $94.13m^2 \times 186.30/m^2 = 17536.42$

(ii) $13.14 m^3 \times 659.60 /m^3 = 8667.14$

Total= 26203.56

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

कंडिका -2 वार्ड नं0-51 में कुतुबगंज रामनगर कॉलोनी के सभी शेष में पी0सी0सी0 पथ एवं नाला का निर्माण

एकरारनामा सं0 एवं वर्ष - 48F2/2015-16
 एकरारनामा की तिथि - 12.01.16
 एकरारित राशि - रु 12157417
 एजेन्सी का नाम - मनोज कुमार सिंह
 कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि - 12.01.16/11.07.16
 कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि- 11.06.2016
 अद्यतन भुगतान - रु 8456549 (मापी पु0 सं0 146/2015-16, पु0 41)

उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जांच के क्रम में निम्न आपत्तियां पाई गईं—

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रु 36.34 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

सरकार को अपने एक महात्वाकांक्षी योजना के तहत आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराना एवं पिछड़ेपन को दूर करना पहली प्राथमिकता होती है। इसी प्राथमिकता को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए एवं उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजनाएं स्वीकृति की जाती हैं। जिसे योजनाएं स्वीकृति के साथ एक निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होता है ताकि उद्देश्य की पूर्ति एवं उसका लाभ ससमय लाभुकों को प्राप्त हो सके।

उक्त कार्य से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि कार्य परिमाण विपत्र में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं कराया गया था जिसके कारण कराये कार्य का अधोमानक होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम सं0	आयटम का नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	Earthwork in excavation (50 m lead)	1930.63m3	1475.93m3	454.70m3	178.40/m3	81118.00
2	Supplying and filling in plinth with local sand	1783.34m3	567.81m3	1215.53m3	378.60/m3	460200.00
3	Providing designation 100 A one brick	6018.20m2	3569.89m2	2448.31m3	233.54/m3	571778.00
4	Providing and laying in position Cement Concrete	568.96 m3	240.53m3	328.43m3	4693.65/m3	1541535.00
5	Centring and shuttering including strutting	1909.61 m3	1175.54m3	734.07m3	137.78/m3	101140.00
6	Brick work with bricks	675.05m3	585.89m3	89.16m3	4295.88/m3	383021.00
7	Providing and laying in position specified grade	245.82 m3	214.76m3	31.06m3	4808.35/m3	149347.00
8	Reinforcement for RCC work	18836.45kg	13569.22kg	5267.23kg	65.70/kg	346057.00
				TOTAL		3634196.00

इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण कार्य पूर्णरूपेण सम्पादित किए ही कार्य को पूर्ण घोषित कर दिया गया था। अतः किये गए कार्य का अधोमानक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) स्वीकृत परिमाण विपत्र से अधिक मात्रा में कार्य किए जाने के कारण अधिक भुगतान राशि रू0 0.09 लाख

उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कुछ आयटम में स्वीकृत परिमाण विपत्र से अधिक मात्रा में कार्य किए जाने के कारण संवेदक को अधिक भुगतान किया गया था जैसे कि परिमाण विपत्र के क्रम सं0 12 पर Removal of unserviceable soil with disposal upto 1000 meters से संबंधित कार्य 1357.79 m³ में किया जाना था जबकि मापी पुस्त के अनुसार उक्त कार्य 1468.08 m³ में किया गया था इस प्रकार 110.29 m³ अधिक मात्रा में उक्त कार्य किया गया था। इस प्रकार संवेदक को उक्त अधिक मात्रा में कार्य किए जाने के कारण राशि रू0 8688.65 का भुगतान किया गया था। विवरण इस प्रकार है—

$$110.29m^3 \times 78.78/m^3 = Rs. 8688.65$$

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

कंडिका -3

वार्ड नं0-8 में नरगा चौक से सी0टी0एस0 होते हुए नाथनगर तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण

एकरारनामा सं0 एवं वर्ष - 35F2/2012-13

एकरारनामा की तिथि - 26.03.13

एकरारित राशि - रू 4777652

एजेन्सी का नाम - विभाष चन्द्र शर्मा

कार्यारंभ/समाप्ति की प्रस्तावित तिथि - 26.03.13/25.07.13

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि- 10.11.14

अद्यतन भुगतान - रू 4378599 (मापी पु0 सं0 50/2013-14, पृ0 34)

उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जांच के क्रम में निम्न आपत्तियां पाई गई—

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रू 3.07 लाख अर्थात्

अधोमानक कार्य

उक्त कार्य से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि कार्य परिमाण विपत्र में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं कराया गया था जिसके कारण कराये कार्य का अधोमानक होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम सं0	सामग्री का नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	Demolishing cement concrete	16.82m ³	0	16.82m ³	412.40/m ³	6937.00
2	Excavation in soil	195.41m ³	179.05m ³	16.36m ³	161.60/m ³	2644.00
3	Construction of GSB	211.69m ³	183.06m ³	28.63m ³	1125.46/m ³	32222.00
4	WBM III	260.54 m ³	220.90m ³	39.64m ³	1631.08/m ³	64656.00
5	Providing and laying in position Cement Concrete	698.27m ³	669.34m ³	28.93m ³	4417.20/m ³	127790.00

6	Providing designation 100A	855.01m ²	780.85m ²	74.16m ²	189.23/m ²	14033.00
7	Providing designation 100A	634.85 m ²	586.87m ²	47.98m ²	304.73/m ²	14621.00
8	Providing and laying in position specified grade	33.54m ³	23.87m ³	9.67m ³	4517.40/m ³	43683.00
				TOTAL		306586.00

कृपया स्पष्ट किया जाय कि उक्त कार्य स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार पूर्णरूपेण सम्पादित क्यों नहीं किया गया?

उपरोक्त के उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना 0.97 लाख।

एफ-2 एकरारनामा के क्लॉउज -2 के अनुसार कार्य समाप्ति में विलम्ब होने के उपरान्त प्रतिदिन की विलम्ब के लिए 0.5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से एकरारित राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है।

कार्यालय कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर के उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करके विलम्ब से किया गया था तथा फिर भी प्रमण्डल द्वारा संवेदक के विपत्र से 381187 रुपये, Time Extension के रूप में काटा गया था। जबकि प्रावधानानुसार 10 प्रतिशत की दर से 477765 रुपये, क्षतिपूर्ति राशि के रूप में संवेदक के विपत्र से कटौती किया जाना था जो नहीं किया गया। इस प्रकार 96578 रुपये क्षतिपूर्ति राशि के रूप में कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया। जवाब में बताया गया कि विपत्र राशि के 10 प्रतिशत की दर से समयवृद्धि की कटौती की गई है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफ-2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लॉउज का अनुपालन नहीं किया गया।

कंडिका -4

मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत बबरगंज से बबरगंज पहाड़ी तक सड़क एवं नाला निर्माण कार्य की समीक्षा

एकरारनामा सं० एवं वर्ष - 24F2/2012-13
एकरारनामा की तिथि -- 01.02.13
एकरारित राशि - ₹0 4320009
संवेदक का नाम - अभय कान्त मिश्रा
कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि - 01.02.13/30.04.13
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि- 15.01.14
अद्यतन भुगतान - ₹ 4243678 (मापी पु० सं० 47/2012-13, पृ० 50)

उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जांच के क्रम में निम्न आपत्तियां पाई गईं-

(1) सड़क में Drain तथा Cross Drain का कार्य बी0ओ0क्यू0 के अनुसार नहीं किया जाना

राशि ₹0 0.58 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

उक्त कार्य से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि सड़क में Drain तथा Cross Drain से संबंधित कार्य स्वीकृत परिमाण विपत्र में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं कराया गया था जिसके कारण कराये कार्य का अधोमानक होने से इनकार नहीं किया जा

सकता है। जैसे कि Excavation work in excavation in all kinds of sol in foundation का कार्य 854.52 घनमी० में किया जाना था जबकि 727.09 घनमी० में किया गया था। Brick work with brick of designation का कार्य 251.75 घनमी० में किया जाना था जबकि 245.66 घनमी० में किया गया था। Cement plaster in coarse sand 12mm का कार्य 1529.10 घनमी० में किया जाना था जबकि 1411.97 घनमी० में किया गया था। Neat Cement Punning का कार्य 1529.10 घनमी० में किया जाना था जबकि 1321.53 घनमी० में किया गया था। विवरण इस प्रकार है—

1. Excavation work in excavation in all kinds of sol in foundation-
127.43m³ x 160.60/m³ = 20465.00
2. Brick work with brick of designation - 6.09m³ x 3578.38/m³ = 21792.00
3. Cement plaster in coarse sand 12mm - 117.13m³ x 88.76/m³ = 10396.00
4. Neat cement punning - 207.57m³ x 24.65/m³ = 5117.00

Total = 57770.00

अतः राशि रू० 57770 का उक्त कार्य किए बिना ही कार्य को पूर्ण घोषित कर दिया गया था। जिससे कृत कार्य का अवमानक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना ₹०.०८ लाख।

एफ-2 एकरारनामा के क्लॉउज -2 के अनुसार कार्य समाप्ति में विलम्ब होने के उपरान्त प्रतिदिन की विलम्ब के लिए 0.5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से एकरारित राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है।

कार्यालय कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर के उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करके विलम्ब से किया गया था तथा फिर भी प्रमण्डल द्वारा संवेदक के विपत्र से 424367 रुपये, Time Extention के रूप में काटा गया था। जबकि प्रावधानानुसार 10 प्रतिशत की दर से 432001 रुपये, क्षतिपूर्ति राशि के रूप में संवेदक के विपत्र से कटौती किया जाना था जो नहीं किया गया। इस प्रकार 7634 रुपये क्षतिपूर्ति राशि के रूप में कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया।

जबाब में बताया गया कि विपत्र राशि के 10 प्रतिशत की दर से समयवृद्धि की कटौती की गई है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफ-2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लॉउज का अनुपालन नहीं किया गया।

कंडिका -5

भिरजान हाट शीतला स्थान चौक से बागबाड़ी होते हुए अलीगंज चौक तक पी.सी.सी. निर्माण की समीक्षा

एकरारनामा संख्या 01- F2./2011-12

एकरारनामा की तिथि 02.01.2012

एकरारनामा की राशि 4,04,50,159.00 परिमाण विपत्र से 0.25 प्रतिशत कम पर

कार्य आरम्भ की तिथि 02.01.2012

कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 01.08.2012 (7 माह)

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 31.03.2014

संवेदक का नाम M/s Rajbir Const P.V.T Ltd, Bhagalpur(विमल कुमार अग्रवाल)

अद्यतन भुगतान मापी पुस्त संख्या 01/2012 एवं 18/2012 पृष्ठ संख्या-45/46 रु 3,75,38,033.00
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि: 31.03.14

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रु 28.52 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

उक्त योजना से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि निम्न कार्य स्वीकृत परिमाण विपत्र में दिये गये विवरण के अनुसार नहीं किये गये हैं । विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम	बी. ओ. क्यू के अनुसार आयटम का क्रम एवं नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	6/Sppling and filing plinth	507.12m3	465.01m3	42.11m3	288.38/m3	12143.68
2	7/Brick flat soling	8146.64m2	7301.90m3	844.74m3	183.12/m3	154688.79
3	8/Brick on edge soling	1489.96m2	1194.16m3	295.80m3	457.66/m3	135375.82
4	9/Demolishing brick work	1028.98m3	Nil	1028.98m3	288.38/m3	296737.25
5	10/ Excavation in Marshy soil	805.01m3	705.71m3	99.30m3	78.78/m3	7822.85
6	11/P.C.C. M15	673.97m3	630.06m3	43.91m3	4339.50/m3	190547.44
7	12/Brick Work	3029.97m3	2639.33m3	390.64m3	3461.97/m3	1352383.96
8	13/R.C.C	868.20m3	818.43m3	49.77m3	4375.45/m3	217766.15
9	15/12mm Cement Plaster	15178.44m2	13257.27m2	1921.17m2	80.51/m2	154673.40
10	16/neet cement puning	15178.44m2	13257.27m2	1921.17m2	22.95/m2	44090.85
11	17/Reinforcement	44.64 MT	39.975MT	4.665MT	61176.92MT	285390.33
					TOTAL	2851620.52

उपरोक्त विवरण के अनुसार लगभग 28.52 लाख रु मूल्य के कार्य को संपादित नहीं किये जाने के कारण उक्त निर्माण कार्य के अधोमानक होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा । कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) बिक्री कर की कम कटौती रु. 0.62 लाख

As per Bihar VAT Act Notification No. S.0.102, Dated 22.06.2012 के तहत कार्य संविदा के क्रम में भुगतान के समय स्रोत पर विक्रीकर 5 प्रतिशत की दर से कटौती करना अनिवार्य है।

इस कार्य में मापी पुस्त संख्या 01/2012 पृष्ठ संख्या 42 तृतीय चलन्त बिल अभिश्रव संख्या 03 दिनांक 02.07.2012 के अनुसार कुल कार्य मूल्य का 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की गयी थी जबकि उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उक्त तिथि से 5 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती किया जाना था ।

विवरण निम्न है :-

कुल कार्य मूल्य	= रु0 6233930 /-
5 प्रतिशत विक्रीकर	= रु0 311697 /-
की गई कटौती	= रु0 249357 /-
कम कटौती	= 62340 /-

इस प्रकार रु0 62340.00 की कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दी गई।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति के आलोक में शीघ्र कार्रवाई कर फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कटौती करते समय उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

(3) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना रू 23.31 लाख

एफ-2 एकरारनामा के क्लॉउज -2 के अनुसार कार्य समाप्ति के प्रतिदिन की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से एकरारनामा की राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है। जो अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।

उक्त नियम के आलोक में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य समाप्ति की तिथि 01.08.2012 से काफी विलम्ब से 31.03.14 का कार्य समाप्त किया गया परन्तु बिल से मात्र 17,13,989.00 की ही कटौती की गयी जबकि नियमानुसार उक्त विलम्ब के लिए एकरारनामा की राशि रू. 4,04,50,159.00 का 10 प्रतिशत रू .40,45,016.00 की कटौती की जाना चाहिये थी। इस प्रकार 23,31,027.00 (40,45,016.00 - 17,13,989.00) रुपये Compensation के रूप में कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया। जबाब में बताया गया कि विपत्र राशि के 10 प्रतिशत की दर से समयवृद्धि की कटौती की गई है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफ-2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लॉउज का अनुपालन नहीं किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफ-2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लॉउज का अनुपालन नहीं किया गया।

कंडिका -6

बरारी फेरी रोड उमेश साह के घर से पुल घाट तक नाला ड्रेन के निर्माण कार्य की समीक्षा

एकरारनामा संख्या 16- F2./2015-16

एकरारनामा की तिथि 29.05.2015

एकरारनामा की राशि 38,67,262.00 परिमाण विपत्र से 10.00 प्रतिशत कम पर

कार्य आरम्भ की तिथि 29.05.2015

कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 28.09.2015 (4 माह)

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 25.04.2016

संवेदक का नाम M/s Rajesh kumar, Bhikhanpur, Bhagalpur

अद्यतन भुगतान मापी पुस्त संख्या 104/2015-16 पृष्ठ संख्या-22/23 रू 422102

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि: 25.04.16

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रू 0.76 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

उक्त योजना से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि आर्येटम संख्या 7 के अनुसार उक्त कार्य में Supplying fitting and placing un-coated Mild steel reinforcement in foundation में मानक के अनुसार 31.48 MT Mild steel reinforcement का उपयोग किया जाना था परन्तु मापी पुस्त के अनुसार 30.18 MT Mild steel reinforcement का ही उपयोग किया जाना पाया गया जो कि परिमाण विपत्र में दिये गये मात्रा से 1.30 MT कम था इस प्रकार 58394.35 प्रति टन की दर से 75912.65 रू. मूल्य के Mild steel reinforcement का उपयोग कार्य में नहीं किये जाने से कार्य के अधोमानक होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना रू 3.08 लाख

एफ-2 एकरारनामा के क्लॉउज -2 के अनुसार कार्य समाप्ति के प्रतिदिन की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से एकरारनामा की राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है। जो अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।

उक्त नियम के आलोक में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य समाप्ति की तिथि 28.09.2015 से 6 माह के विलम्ब से कार्य समाप्त किया गया परन्तु बिल से मात्र 78,982.00 की ही कटौती की गयी जबकि नियमानुसार उक्त विलम्ब के लिए एकरारनामा की राशि रू. 38,67,262.00 का 10 प्रतिशत रू. 3,86,726.00 की कटौती की जानी चाहिये थी। इस प्रकार 3,07,744.00 (3,86,726.00 - 78,982.00) रूपये Compensation के रूप में कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया।

जवाब में बताया गया कि विपत्र राशि के 10 प्रतिशत की दर से समयवृद्धि की कटौती की गई है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफ-2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लॉउज का अनुपालन नहीं किया गया।

(3) अतिरिक्त परफारमेंस सिक्यूरिटी नहीं लिये जाने से संवेदक को अदेय सहायता ₹1.45 लाख।

अभियन्ता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के पत्रांक -06/1/बी0-12/2003 3376 दिनांक 17.08.2010 के तहत संवेदक द्वारा अनुसूचित दर से कम दर (Serious unbalanced bid) पर निविदा डाले जाने की स्थिति में कार्य की गुणवत्ता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए संवेदक से अतिरिक्त परफारमेंस सिक्यूरिटी के रूप में राशि लिये जाने का प्रावधान है। उक्त कार्य को परिमाण विपत्र की राशि से 10 प्रतिशत कम दर पर आवंटित किया गया। उपरोक्त आदेश के अनुसार 38,67,262/- (एकरारित राशि) पर 3.75% (10 प्रतिशत कम दर पर 3.75%) अर्थात् 1,45,022/- Additional Performance Security के रूप में लिया जाना था लेकिन उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए उक्त राशि नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को ₹1,45,022/- का अदेय सहायता पहुँचाया गया।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति का भविष्य में अनुपालन कर ली जायेगी।

कंडिका -7 सराय चौक सोनवर्षा लेन लाल खॉ दरगाह से पी.सी.सी सड़क एवं नाला निर्माण कार्य की समीक्षा

एकरारनामा संख्या	21- F2./2015-16
एकरारनामा की तिथि	17.07..2015
एकरारनामा की राशि	41,12,107.00 परिमाण विपत्र से 10.00 प्रतिशत कम पर
कार्य आरम्भ की तिथि	17.07..2015
कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि	16.11..2015 (4 माह)
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	05.05.2016
संवेदक का नाम	M/s Santosh Kumar Singh , Dalsingh Sarai, Samastipur
Rigid pavement	1300 feet length
अद्यतन भुगतान	मापी पुस्त संख्या 106/2015-16 पृष्ठ संख्या-20/21 रू 38,58,120.00
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि:	09.05.16

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रु 2.48 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

उक्त योजना से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि निम्न कार्य स्वीकृत परिमाण विपत्र में दिये गये विवरण के अनुसार नहीं किये गये हैं। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम	बी. ओ. क्यू के अनुसार आयटम का कम एवं नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	3/100A one brick flat soling	1138.27 m2	897.61 m2	240.66 m2	245.00/m2	58961.70
2	4/Brick on edge flooring	483.27 m2	257.24 m2	226.03 m2	603.51/m2	136411.36
3	9/steel reinforcement	20.419 MT	19.522 MT	0.897 MT	58394.35/MT	52379.73
					Total	247752.79

उपरोक्त विवरण के अनुसार लगभग 2.48 लाख रु मूल्य के कार्य को संपादित नहीं किये जाने के कारण उक्त निर्माण कार्य के अधोमानक होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना रु 3.30 लाख

एफ-2 एकरारनामा के क्लॉउज -2 के अनुसार कार्य समाप्ति के प्रतिदिन की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से एकरारनामा की राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है। जो अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।

उक्त नियम के आलोक में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य समाप्ति की तिथि 16.11.2015 से लगभग 6 माह के विलम्ब से कार्य समाप्त किया गया परन्तु बिल से मात्र 81,208.00 की ही कटौती की गयी जबकि नियमानुसार उक्त विलम्ब के लिए एकरारनामा की राशि रु. 41,12,107.00 का 10 प्रतिशत रु. 4,11,211.00 की कटौती की जानी चाहिये थी। इस प्रकार 3,30,003.00 (4,11,211.00 - 81,208.00) रूपये Compensation के रूप में कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया।

जवाब में बताया गया कि समयवृद्धि की कटौती विपत्र राशि का 10 प्रतिशत की दर से किया गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफ-2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लॉउज का अनुपालन नहीं किया गया।

(3) अतिरिक्त परफारमेंस सिक्यूरिटी नहीं लिये जाने से संवेदक को अदेय सहायता रु. 1.54 लाख

अभियन्ता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के पत्रांक -06/1/बी0-12/2003 3376 दिनांक 17.08.2010 के तहत संवेदक द्वारा अनुसूचित दर से कम दर (Serious unbalanced bid) पर निविदा डाले जाने की स्थिति में कार्य की गुणवत्ता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए संवेदक से अतिरिक्त परफारमेंस सिक्यूरिटी के रूप में राशि लिये जाने का प्रावधान है। उक्त कार्य को परिमाण विपत्र की राशि से 10 प्रतिशत कम दर पर आवंटित किया गया। उपरोक्त आदेश के अनुसार 41,12,107/- (एकरारित राशि) पर 3.75% (10 प्रतिशत कम दर पर 3.75%) अर्थात् 1,54,204/- Additional Performance Security के रूप में लिया जाना था लेकिन उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए उक्त राशि नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को 1,54,204/- का अदेय सहायता पहुँचाया गया।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति का भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

कंडिका -8

मोहनपुर ओमप्रकाश भारती के घर से चैती दुर्गा स्थान होते हुए मियां बाड़ी के मिलन बिन्दु एवं नीलकोठी तक पी.सी.सी. एवं नाला निर्माण कार्य की समीक्षा

एकरारनामा संख्या 10- F2./2015-16

एकरारनामा की तिथि 25.05.2015

एकरारनामा की राशि ₹45,92,152.00 परिमाण विपत्र से 2.99 प्रतिशत कम पर

कार्य आरम्भ की तिथि 25.05.2015

कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 24.09.2015 (4 माह)

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 30.06.2016

संवेदक का नाम M/s Maa Construction, Forbesganj, Araria

अद्यतन भुंगतान मापी पुस्त संख्या 129/2015-16 पृष्ठ संख्या-22/23 रु 4004151.00

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि: 30.06.16

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रु 6.04 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

उक्त योजना से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि निम्न कार्य स्वीकृत परिमाण विपत्र में दिये गये विवरण के अनुसार नहीं किये गये हैं । विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम	बी. ओ. क्यू के अनुसार आयटम का कम एवं नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	3/Supplying and filing in plinth	422.89m ³	11.31m ³	411.58m ³	391.49/m ³	161129.45
2	4/G.S.B.	529.59m ³	468.06m ³	61.53m ³	1839.88/m ³	113207.81
3	5/P.C.C.	600.96m ³	558.63m ³	42.33m ³	4882.18/m ³	206662.68
4	6/Boulder Pitching	42.48m ³	Nil	42.48m ³	1894.68/m ³	80486.00
5	7/Filter Material under neath	21.24m ³	Nil	21.24m ³	2022.06/m ³	42948.55
					Total	604434.49

मापीपुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि लगभग 430 फीट लम्बाई में G.S.B. तथा 290 फीट लम्बाई में P.C.C. का कार्य नहीं किया गया कृपया स्पष्ट किया जाय कि बिना G.S.B. का कार्य किये बिना 140 फीट लम्बाई में P.C.C. का कार्य कैसे किया गया ? जिसके कारण उपरोक्त सड़क की उपयोगिता संदेहास्पद है इसके अतिरिक्त उपरोक्त विवरण के अनुसार लगभग 604434.00 रु मूल्य के कार्य को संपादित नहीं किये जाने के कारण उक्त निर्माण कार्य के अधोमानक होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा । कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय ।

(2) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना रु 0.79 लाख

एफ-2एकरारनामा के क्लॉउज -2 के अनुसार कार्य समाप्ति के प्रतिदिन की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से एकरारनामा की राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है । जो अधिकतम 10 प्रतिशत होगी ।

उक्त नियम के आलोक में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 24.09.2015 से विलम्ब से 30.06.16 तक कार्य समाप्त किया गया परन्तु बिल से 3,79,941.00 की ही कटौती की

गयी जबकि नियमानुसार उक्त विलम्ब के लिए एकरारनामा की राशि रू. 45,92,152.00 का 10 प्रतिशत रू. 4,59,215.00 की कटौती की जाना चाहिये थी। इस प्रकार 79,274.00 (4,59,215.00 – 3,79,941.00) रूपये Compensation के रूप में कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया।

जबाब में बताया गया कि विपत्र राशि के 10 प्रतिशत की दर से समयवृद्धि की कटौती की गई है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफ-2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लाउज का अनुपालन नहीं किया गया।

कंडिका -9

विश्वविद्यालय अतिथिशाला के पीछे भैरवां पोखर का सौदर्यीकरण कार्य की समीक्षा

एकरारनामा संख्या 08- F2./2013-14

एकरारनामा की तिथि 30.04.2013

एकरारनामा की राशि 45,99,463.00 परिमाण विपत्र दर पर

कार्य आरम्भ की तिथि 30.04.2013

कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 29.08.2013 (4 माह)

संवेदक का नाम M/s Rajesh kumar, Sahebganj Bhagalpur

अद्यतन भुंगतान मापी पुस्त संख्या 61/2013-14 पृष्ठ संख्या-40 रू 43,04,953.00

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रू 1.78 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

उक्त योजना से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि निम्न कार्य स्वीकृत परिमाण विपत्र में दिये गये विवरण के अनुसार नहीं किये गये हैं। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम	बी. ओ. क्यू के अनुसार आयटम का क्रम एवं नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	6/P.C.C.	282.56m3	278.98m3	3.58m3	3588.90/m3	12848.26
2	10/Tiles work	985.13m2	835.01m2	150.12m2	738.10/m2	110803.57
3	11/Tiles work	13.52m2	Nil	13.52m2	834.80/m2	11286.49
4	14/ E/W Excavation	23.32m3	15.81m3	7.51m3	160.60/m3	1206.10
5	15/R.C.C. Work	9.48m3	5.98m3	3.5m3	3586.67/m3	12553.34
6	20/Cement Plastering	55.16m2	Nil	55.16m2	162.30/m2	8952.46
7	21/ Cement Plastering	47.28m2	Nil	47.28m2	174.10/m2	8231.44
8	22/ Cement Plastering	47.28m2	Nil	47.28m2	83.30/m2	3938.42
9	23/ Cement Plastering	47.24m2	Nil	47.24m2	63.80/m2	3013.91
10	24/Wall Painting	102.40m2	Nil	102.40m2	47.10/m2	4823.04
					Total	177657.03

विश्वविद्यालय अतिथि शाला के पीछे भैरवां पोखर का सौदर्यीकरण के निर्माण के क्रम में उपरोक्त कार्य किये जाने का प्रमाण मापी पुस्त के नमूना जांच के क्रम में नहीं पाया गया जबकि कार्य समाप्त करने की तिथि 29.08.2013 थी। इस प्रकार 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कार्य पूर्णरूपेण नहीं किये जाने के कारण कार्य की गुणवत्ता सन्देहास्पद हो जाती है।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना रू 4.60 लाख

एफ-2 एकरारनामा के क्लॉउज -2 के अनुसार कार्य समाप्ति के प्रतिदिन की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से एकरारनामा की राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है। जो अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।

उक्त नियम के आलोक में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य समाप्ति की तिथि 29.08.2013 थी जबकि लेखापरीक्षा की तिथि तक कार्य पूर्णरूपेण समाप्त नहीं किया जा सका था। परन्तु Compensation के रूप में बिल से कोई कटौती नहीं की गयी जबकि नियमानुसार उक्त विलम्ब के लिए एकरारनामाकी राशि रू. 45 का 10 प्रतिशत रू 459946 की कटौती की जानी चाहिये थी। इस प्रकार उक्त विलम्ब के लिए 4,59,946.00 रुपये Compensation के रूप में कटौती नहीं कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया।

जबाब में बताया गया कि विपत्र राशि के 10 प्रतिशत की दर से समयवृद्धि की कटौती की गई है। उत्तर सत्य नहीं था क्योंकि एफ-2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लॉउज का अनुपालन करते हुए Compensation की कटौती नहीं की गयी थी।

(3) स्वामित्व कर की कटौती नहीं मो 0.16 लाख

बिहार लघु खनिज नियमावली 1972 के अनुसार निर्माण कार्य में व्यवहृत सामग्रीयों पर अनिवार्य रूप से स्वामित्व कर की कटौति कर लिया जाना चाहिये नमूना जाँच के कम में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य में 710.84 घन मीटर मिट्टी से संबंधित कार्य का निष्पादन किया गया (मापीपुस्त पृष्ठ 34/36) परन्तु उक्त कार्य पर नियमानुसार 22.00रू. प्रति घनमीटर की दर से 15638.48 की स्वामित्व कर की कटौति नहीं की गयी।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

कंडिका -10

आवास बोर्ड कॉलोनी के 6 एम0एच0/1 से 20 होते हुए 5 एन0एच0 सहित मुख्य सड़क एवं शाखा

सड़क एवं नाला निर्माण कार्य की समीक्षा

एकरारनामा संख्या	22- F2./2013-14
एकरारनामा की तिथि	12.06.2013
एकरारनामा की राशि	43,79,670.00 परिमाण विपत्र से 8.00 प्रतिशत कम पर
कार्य आरम्भ की तिथि	12.06.2013
कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि	11.10.2013 (4 माह)
कार्य की स्थिति	अपूर्ण
संवेदक का नाम	M/s Arun Prasad, Sahebganj, Bhagalpur

अद्यतन भुंगतान मापी पुस्त संख्या 57/2013-14 पृष्ठ संख्या-50 रू 43,01,494.00

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रू 0.69 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

उक्त योजना से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि आर्यैटम संख्या 5 के अनुसार उक्त कार्य में 55.73 वर्गमीटर क्षेत्र में 131.30 प्रति वर्गमीटर की दर से कुल 7317.35 रू का Dismantling of existing structure किया जाना था जो कि नहीं किया गया इसी प्रकार आर्यैटम

संख्या 8 के अनुसार Providing designation 100A one Brick edge soling....446.09 वर्ग मीटर क्षेत्र में 139.15 प्रति वर्गमीटर की दर से कुल 62073.42 रु का कार्य सम्पन्न किया जाना था जो नहीं किया गया । स्वीकृत परिमाण विपत्र में आवंटित कार्य को पूर्णरूपेण नहीं कराये जाने से निर्माण कार्य के अधोमानक होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी की वापसी में नियमों की अवहेलना रु. 1.20 लाख

अभियन्ता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के पत्रांक -06/1/बी0-12/2003 3376 दिनांक 17.08.2010 के तहत संवेदक द्वारा अनुसूचित दर से कम दर (Serious unbalanced bid) पर निविदा डाले जाने की स्थिति में कार्य की गुणवत्ता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए संवेदक से अतिरिक्त परफारमेंस सिक्युरिटी के रूप में राशि लिये जाने का प्रावधान है, जिसे नियमानुसार संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ही वापस किया जाना है।

नमूना जांच में पाया कि उक्त कार्य परिमाण विपत्र से 8.00 प्रतिशत कम दर पर आवंटित किया गया था जिसके लिए उक्त नियमों के तहत N.S.C. के रूप 120,000.00 रु. अतिरिक्त परफारमेंस सिक्युरिटी जमा किया गया था परन्तु पाया गया कि कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही N.S.C. के रूप में जमा उक्त राशि को नियमों की अनदेखी कर संवेदक को वापस कर दिया गया था । उत्तर में बताया गया कि आपत्ति का भविष्य में अनुपालन किया जायेगा ।

कंडिका -11

बरारी आवास बोर्ड कॉलोनी के 6 एन0एच0/21 से 6एल0एच0 51 तक जीरो माईल होते हुए हाउसिंग बोर्ड तक सड़क एवं नाला निर्माण कार्य की समीक्षा

एकरारनामा संख्या 28- F2./2013-14

एकरारनामा की तिथि 27.07.2013

एकरारनामा की राशि 43,47,119.00 परिमाण विपत्र से 7.20 प्रतिशत कम पर

कार्य आरम्भ की तिथि 27.07.2013

कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 26.11.2013 (4 माह)

संवेदक का नाम M/s Manish Kumar, Brari, Bhagalpur

अद्यतन भुगतान मापी पुस्त संख्या 58/2013-14 पृष्ठ संख्या-37 रु 42,94,905.00

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रु 0.53 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

उक्त योजना से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि निम्न कार्य स्वीकृत परिमाण विपत्र में दिये गये विवरण के अनुसार नहीं किये गये हैं । विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम	बी. ओ. क्यू के अनुसार आयटम का क्रम एवं नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	3/Supplying and filling	195.89m3	192.68m3	3.21m3	342.96/m3	1100.90
2	4/100A One Brick edge soling	892.19m2	871.09m2	21.10m2	304.72/m2	6429.59
3	5/100A One Brick flat soling	1587.27m2	1546.78m2	40.49m2	189.23m2	7661.92
4	8/Brick work	436.02m3	429.66m3	6.36m3	3588.12/m3	22820.44
5	9/12mm cement plaster	3302.22m2	3244.13m2	58.09m2	89.32/m2	5188.59
6	10/neat cement punning	3302.22m2	3244.13m2	58.09m2	24.65/m2	1431.92

7	13/centering & shuttering	199.45m2	123.37m2	76.08m2	127.70m2	9715.41
					Total	54348.77

उपरोक्त विवरण के अनुसार लगभग 0.53 लाख रू मूल्य के कार्य को संपादित नहीं किये जाने के कारण उक्त निर्माण कार्य के अधोमानक होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा । कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय ।

(2) अतिरिक्त परफारमेंस सिक्युरिटी नहीं लिये जाने से संवेदक को अदेय सहायता रू. 1.02 लाख ।

अभियन्ता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के पत्रांक -06/1/बी0-12/2003 3376 दिनांक 17.08.2010 के तहत संवेदक द्वारा अनुसूचित दर से कम दर (Serious unbalanced bid) पर निविदा डाले जाने की स्थिति में कार्य की गुणवत्ता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए संवेदक से अतिरिक्त परफारमेंस सिक्युरिटी के रूप में राशि लिये जाने का प्रावधान है। उक्त कार्य को परिमाण विपत्र की राशि से 7.20 प्रतिशत कम दर पर आवंटित किया गया। उपरोक्त आदेश के अनुसार 43,47,119/- (एकरारित राशि) पर 2.35% (7.20 प्रतिशत कम दर पर 2.35%) अर्थात् 1,02,157/- Additional Performance Security के रूप में लिया जाना था लेकिन उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए उक्त राशि नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को 1,02,157/- का अदेय सहायता पहुँचाया गया ।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति का भविष्य में अनुपालन कर ली जायेगी ।

कंडिका -12

अपूर्ण योजनाओं पर निष्फल व्यय रू0 28.80 लाख

कार्यालय कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर के 09/2016 के योजनाओं के मासिक प्रगति प्रतिवेदन की नमूना जांच में पाया गया कि योजनाएं अपने निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं हो सकी। फलस्वरूप इन योजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति ससमय लाभुकों को नहीं मिल सका। जिनका विवरण इस प्रकार है-

Sl. No.	Name of Scheme	Name of Road	Name of Agency	Agreement amount (Rs. In Lakh)	Date of Start	completion proposed date of work	Upto date expenditure (Rs. Lakh)
01	MMNVY	तिलकामाझी चौक से कचहरी चौक तक नाला रिपेयरिंग	Sri Subhash Prasad	36.59	09.01.16	08.05.16	04.24
02	MMNVY	इस्लाम नगर नेशनल स्टोर के बगल से रेलवे लाईन तक पी0सी0सी0 सडक निर्माण	Sri Ravindra Kumar	33.80	15.01.16	14.05.16	10.77
03	MMNVY	वार्ड नं0 41 में अलीगंज ठाकुर प्र0 लेन में स्व0 विजय बहादुर के घर होते हुए स0 सुभाष सिंह के घर से गौरी चक तक पी0सी0सी0 सडक एवं नाला निर्माण	Sri Santosh Kumar Singh	21.03	25.05.15	24.08.15	06.49

04	Gandi Basti	गंदी बस्ती योजनांतर्गत झौआकोठी भागलपुर की आधारभूत संरचना	Kumar Ritudhwaj	11.35	23.08.12	22.11.12	07.30
Total							28.80

उत्तर में बताया गया कि सभी अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि योजनाओं को ससमय पूर्ण नहीं किये जाने से जहाँ एक ओर गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है वहीं लाभुको को योजनाओ का उचित लाभ नहीं मिलता और सरकार को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है।

कंडिका –13 श्रम सेस के रूप में कटौती की गई राशि को जमा नहीं किया जाना राशि रू0 22.40 लाख

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र सं0बी0सी0डब्लू0सी0 01/08 एवं श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-3355 दिनांक-19.06.08 के अनुसार एवं मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक सं0 बी0सी0डब्लू0सी0 01/09, श्रम संसाधन विभाग दिनांक-24.04.09 के आदेश के अनुसार सभी कार्य विभागों के द्वारा लिये गए योजनाओं के कुल लागत का 01 प्रतिशत शेष के रूप में कटौती कर संयुक्त श्रमायुक्त-सह-सचिव बिहार एवं अन्य सनिर्माण कार्यालय कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, विकास भवन, पटना में जमा करना है।

कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए योजना पंजी तथा अन्य अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरांत श्रम सेस के रूप में कुल राशि रू 2238456 की कटौती की गयी परंतु उसे संबंधित विभाग में जमा नहीं किया गया (विस्तृत जानकारी परिशिष्ट-I पर)।

अतः उक्त श्रम सेस की राशि की कटौती के उपरांत उसे संबंधित विभाग में जमा क्यों नहीं किया गया इस पर अपने मंतव्य से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति का शीघ्र अनुपालन कर फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को साक्ष्य के साथ शीघ्र अवगत कराया जाय।

कंडिका –14 BOQ की बिक्री से प्राप्त राशि को कोषागार में जमा नहीं किया जाना राशि रू 24.78 लाख

बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के कंडिका सं0 71, 72 एवं 77 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सरकार की ओर से प्राप्त धन (नगद या व्यक्तिगत चेक) को तुरंत संबंधित रोकड़ बही में लेखांकित कर यथाशीघ्र कोषागार में जमा कर दिया जाना चाहिए।

जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय, भागलपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए परिमाण विपत्र बिक्री पंजी एवं संबंधित रोकड़बहियों के नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि विभिन्न संवेदकों से परिमाण विपत्र (BOQ) बिक्री के रूप में वर्ष 2011-12 से सितंबर 2016 तक कुल राशि रू 24,78,200 (विवरणी परिशिष्ट-II पर संलग्न) प्राप्त की गयी एवं उसका इन्द्राज संबंधित रोकड़बही में किया गया परंतु उसको कोषागार में जमा किये जाने से संबंधित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा से समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति का शीघ्र निराकरण कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को साक्ष्य के साथ शीघ्र अवगत कराया जाय।

कंडिका -15 परिमाण विपत्र की राशि रू0 0.47 लाख की प्रवृष्टि रोकड़पंजी मे नहीं

बिहार लोक निर्माण संहिता के अध्याय VI(ऊ)(प)रोकड़ बही (संधारण, तुलन, भूल-विशोधन एवं सत्यापन) तथा बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार जैसे ही कोई प्राप्ति अथवा भुगतान किया जाय संबंधित रोकड़ बही में उसे तुरंत इन्द्राज किया जाना चाहिए।

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण भागलपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए परिमाण विपत्र पंजी एवं संबंधित रोकड़ पंजी के नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि कुल सात विपत्र जिनका समग्र मूल्य 46500 रू होता है कि प्रवृष्टि रोकड़ पंजी में नहीं पायी गयी। विवरण निम्न है:-

क्र०सं०	संवेदक का नाम	BOQ कि राशि	BOQ पंजी कि पृष्ठ सं०
1	रविशेखर कुमार	5000/-	126
2	रविशेखर कुमार	750 /-	127
3	सुनील कुमार	750 /-	127
4	मनीष कुमार	10000 /-	128
5	सुभाष प्रसाद	10000 /-	128
6	दयानंद सिंह	10000 /-	128
7	गौतम कुमार	10000 /-	129
	कुल	46500 /-	

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि आपत्ति का शीघ्र अनुपालन कर फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

भाग-III
लेखा परीक्षा टिप्पणी

टिप्पणी – 1 रोकड़बहियों के संधारण में विसंगतियाँ

बिहार लोक निर्माण संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार जैसे ही कोई प्राप्ति अथवा भुगतान किया जाय संबंधित रोकड़ बही में उसे तुरंत इन्द्राज किया जाना चाहिये।

बिहार वित्तीय नियमावली की कंडिका 265 के तहत रोकड़ बही मासिक बंद होना चाहिए एवं अंतशेष का विश्लेषण भी माह के अंत में होना चाहिए। ताकि विभिन्न मदों में की जाने वाली वसूलियों, उनके विरुद्ध जमाओं/वापसियों तथा वास्तविक शेषों का सही सही आकलन किया जा सके।

इस कम में पाया गया कि कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी रोकड़ बहियों में काट छोट उपरिलेखन किया गया था। जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, कहीं कहीं सफेदा एवं पेन्सिल का भी उपयोग किया गया था।

जनवरी-2016 माह का अंतःशेष 9,37,09,184 तथा फरवरी-2016 का आरंभिक शेष 9,69,17,693 पाया गया। तथा आगे लिखा गया कि 32,08,509 सूद कि राशि को जोड़ा गया। पूर्व में ब्याज की राशि को नियमित रूप से रोकड़बही में संधारित नहीं किया जा रहा था ?

योजना मद में जमा राशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज के लिए अलग से सहायक रोकड़ बही का संधारण नहीं किया जा रहा था ?

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 3458 दिनांक 21.06.2011 के द्वारा कनीय कर्मियों तृतीय वर्ग कर्मियों, कार्यालय व्यय तथा अन्य व्यय के लिए शहरी अभियन्त्रण कोषांग द्वारा परिचालित योजनाओं पर 4 प्रतिशत सेवा शुल्क लिए जाने का प्रावधान किया गया था। पाया गया कि इसके लिए अलग से रोकड़ बही संधारित नहीं किया जा रहा था तथा उसी बैंक खातों का उपयोग किया जा रहा था जिसके कारण योजना व्यय तथा अन्य व्यय में उचित प्रकार से विभेद नहीं किया जा सकता था तथा उन मदों में प्राप्त ब्याज की भी सही सही गणना किया जाना संभव नहीं था।

इसी प्रकार दिनांक 24.08.2016 चेकसंख्या 665912 Director Buda को 9,30,000.00 रु का भुगतान किया गया। बैंक पासबुक के अनुसार 15.09.2016 को चेक का समाशोधन नहीं हो पाने के कारण चेक वापस कर दिया गया। वापसी की राशि को रोकड़बही में दर्ज नहीं किया गया। साथ ही बैंक द्वारा 575.00 का शुल्क की कटौति की गयी जो की नियमानुसार नहीं था ?

रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 14 को निरस्त दिखाया गया था परन्तु चेक संख्या 665883 एवं 665884 को बैंक द्वारा क्लीयर दिखाया गया था

बैंक द्वारा वसूल किये गये शुल्कों की राशि को रोकड़बही में दर्ज नहीं किया गया ?

दिनांक 25.05.2016 को चेक संख्या 665876 के द्वारा रोकड़बही में रु. 4,37,096.00 का भुगतान पाया गया परन्तु बैंक पासबुक में 435096.00 का ही भुगतान दर्ज पाया गया अन्तर की राशि रु 2000.00 थी ?

वाणिज्य कर उपायुक्त भागलपुर को दिनांक 03.05.2013 को जारी चेक संख्या 610085 रु. 1,14,482.00 को बैंक पासबुक में इन्द्राज नहीं पाया गया जिससे कि उक्त राशि का वैट जमा नहीं हो पाया।

दिनांक 01.09.2015 को चेक संख्या 88950 के द्वारा राशि 4,96,69,100.00 की बैंक आफ महाराष्ट्र में खाता खोला गया जिसके बारे में रोकड़बही में कोई इन्द्राज दर्ज नहीं था ?

स्थापना रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था।

वेतन विपत्र पंजी में दर्ज विपत्र संख्या 21/2014-15 के द्वारा आहरित रु. 48300.00 को A. Roll में दर्ज नहीं पाया गया।

Bank reconciliation Statement का रख- रखाव नहीं किया जाता है। जिसके कारण बैंक शेष तथा रोकड़बही के मध्य अन्तर का समाधान नहीं किया जा सका ।

ध्यातव्य हो कि रोकड़बही किसी भी संस्था का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसका उचित प्रकार से रखरखाव किया जाना चाहिये तथा सभी घटकों का सही सही एवं पर्याप्त प्रकटन प्रस्तुत किये जाने चाहिये ताकि विभिन्न मदों में की जाने वाली वसूलियों, उनके विरुद्ध जमाओं/वापसियों तथा वास्तविक शेषों का सही सही आकलन किया जा सके।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति में उठाये गये सभी बिन्दुओं का जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही कर एवं आवश्यक सुधार कर अगले अंकेक्षण दल को प्रस्तुत कर दिया जायगा।

टिप्पणी – 2 अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर के लेखा परीक्षा के दौरान निम्न अभिलेख अप्रस्तुत/असंधारित पाये गये:-

1. पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन
2. स्टॉक रजिस्टर
3. सम्पत्ति रजिस्टर (Assets Register)
4. स्थायी एवं अस्थायी सामग्री की स्टॉक पंजी
5. शिकायत पंजी
6. योजनाओं के संबंध में लेजर (Ledger)
7. चेक निर्गत पंजी
8. टी. एण्ड पी. रजिस्टर
9. Interest Bearing Register

उपरोक्त के क्र.सं. 1 के उत्तर में बताया गया कि यह अभिकरण का प्रथम अंकेक्षण है तथा कम संख्या 2 से लेकर 9 तक सभी अभिलेखों को संधारित कर अगले अंकेक्षण दल को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

—हस्ता०—

(अखिलेश चन्द्र ठाकुर)

व०ले०प०अ०

—अनुमोदित—

उपमहालेखाकार (सा०प्र०-I/स्था०नि०)

पत्रिका- 2
भाग- D Ro, कटौती 13

अनुलग्नक - 06

O/o THE EXECUTIVE ENGINEER DUDA BHAGALPUR

श्रम सेस की कटौती की राशि का विवरण :-


क्रम संख्या	एकरारनामा सं०	धनराशि (रु में)
1.	01 F 2 / 2011-12	3,75,380
2.	02 F 2 / 2011-12	17,477
3.	01 F 2 / 2012-13	7,372
4.	02 F 2 / 2012-13	2,697
5.	03 F 2 / 2012-13	17,851
6.	04 F 2 / 2012-13	3,853
7.	05 F 2 / 2012-13	3,823
8.	06 F 2 / 2012-13	8,657
9.	07 F 2 / 2012-13	24,432
10.	08 F 2 / 2012-13	27,464
11.	09 F 2 / 2012-13	87,620
12.	10 F 2 / 2012-13	7,295
13.	11 F 2 / 2012-13	39,395
14.	12 F 2 / 2012-13	26,697
15.	13 F 2 / 2012-13	1,940
16.	14 F 2 / 2012-13	14,973
17.	15 F 2 / 2012-13	17,184
18.	16 F 2 / 2012-13	7,841
19.	17 F 2 / 2012-13	4,605
20.	18 F 2 / 2012-13	16,188
21.	19 F 2 / 2012-13	2,660
22.	20 F 2 / 2012-13	27,342
23.	21 F 2 / 2012-13	9,349
24.	22 F 2 / 2012-13	23,401
25.	23 F 2 / 2012-13	39,889
26.	24 F 2 / 2012-13	42,437
27.	25 F 2 / 2012-13	3,772
28.	26 F 2 / 2012-13	10,191
29.	27 F 2 / 2012-13	1,247
30.	28 F 2 / 2012-13	17,665
31.	29 F 2 / 2012-13	26,811
32.	30 F 2 / 2012-13	4,302
33.	31 F 2 / 2012-13	13,575
34.	32 F 2 / 2012-13	9,704
35.	33 F 2 / 2012-13	18,220
36.	34 F 2 / 2012-13	8,919
37.	35 F 2 / 2012-13	43,787
38.	01 F 2 / 2013-14	2,650
39.	02 F 2 / 2013-14	10,771
40.	04 F 2 / 2013-14	4,300
41.	05 F 2 / 2013-14	21,583
42.	06 F 2 / 2013-14	4,204
43.	07 F 2 / 2013-14	18,824

1
11-1-13
430

44.	08 F 2 / 2013-14	43,049
45.	09 F 2 / 2013-14	6,231
46.	10 F 2 / 2013-14	11,839
47.	11 F 2 / 2013-14	15,384
48.	12 F 2 / 2013-14	31,743
49.	13 F 2 / 2013-14	10,814
50.	14 F 2 / 2013-14	29,567
51.	15 F 2 / 2013-14	4,093
52.	16 F 2 / 2013-14	3,104
53.	17 F 2 / 2013-14	16,223
54.	18 F 2 / 2013-14	5,945
55.	19 F 2 / 2013-14	6,442
56.	20 F 2 / 2013-14	4,958
57.	21 F 2 / 2013-14	12,820
58.	22 F 2 / 2013-14	43,015
59.	23 F 2 / 2013-14	2,181
60.	24 F 2 / 2013-14	2,534
61.	25 F 2 / 2013-14	4,961
62.	26 F 2 / 2013-14	36,181
63.	27 F 2 / 2013-14	25,469
64.	28 F 2 / 2013-14	42,949
65.	29 F 2 / 2013-14	5,387
66.	30 F 2 / 2013-14	24,225
67.	31 F 2 / 2013-14	1,261
68.	32 F 2 / 2013-14	13,159
69.	33 F 2 / 2013-14	14,803
70.	34 F 2 / 2013-14	14,453
71.	35 F 2 / 2013-14	29,892
72.	36 F 2 / 2013-14	8,190
73.	37 F 2 / 2013-14	2,457
74.	38 F 2 / 2013-14	37,839
75.	40 F 2 / 2013-14	5,123
76.	41 F 2 / 2013-14	22,780
77.	01 F 2 / 2015-16	3,410
78.	02 F 2 / 2015-16	1,670
79.	03 F 2 / 2015-16	6,604
80.	04 F 2 / 2015-16	1,994
81.	05 F 2 / 2015-16	8,021
82.	06 F 2 / 2015-16	25,556
83.	07 F 2 / 2015-16	5,087
84.	11 F 2 / 2015-16	7,750
85.	12 F 2 / 2015-16	5,200
86.	13 F 2 / 2015-16	3,940
87.	14 F 2 / 2015-16	30,839
88.	15 F 2 / 2015-16	24,560
89.	16 F 2 / 2015-16	37,989
90.	17 F 2 / 2015-16	57,250
91.	18 F 2 / 2015-16	6,762
92.	19 F 2 / 2015-16	4,433
93.	20 F 2 / 2015-16	3,806

11/27/16
A.S.D.

94.	22 F 2 / 2015-16	14,388
95.	21 F 2 / 2015-16	21,210
96.	24 F 2 / 2015-16	13,430
97.	25 F 2 / 2015-16	12,900
98.	26 F 2 / 2015-16	7,910
99.	28 F 2 / 2015-16	7,152
100.	30 F 2 / 2015-16	13,870
101.	33 F 2 / 2015-16	19,870
102.	35 F 2 / 2015-16	14,325
103.	37 F 2 / 2015-16	3,410
104.	38 F 2 / 2015-16	3,393
105.	39 F 2 / 2015-16	13,012
106.	40 F 2 / 2015-16	12,317
107.	41 F 2 / 2015-16	4,510
108.	42 F 2 / 2015-16	23,641
109.	43 F 2 / 2015-16	6,522
110.	45 F 2 / 2015-16	6,152
111.	46 F 2 / 2015-16	4,243
112.	47 F 2 / 2015-16	4,967
113.	48 F 2 / 2015-16	84,565
114.	50 F 2 / 2015-16	734
115.	52 F 2 / 2015-16	8,919
116.	54 F 2 / 2015-16	4,310
117.	57 F 2 / 2015-16	9,911
118.	58 F 2 / 2015-16	6,742
119.	59 F 2 / 2015-16	8,760
120.	64 F 2 / 2015-16	12,214
121.	67 F 2 / 2015-16	10,770
122.	70 F 2 / 2015-16	4,873
123.	71 F 2 / 2015-16	27,147
		22,40,456 / -


 22/0

प्रादेशिक - 1
भाग - 1 (ब), कां.सि.का 14

अनुलग्नक - ए



EXECUTIVE ENGINEER DUDA BHAGALPUR

परिमाण विपत्र की बिक्री से प्राप्त राशि का विवरण :-

क्रम संख्या	धनराशि (रु में)
1.	60,000
2.	10,000
3.	15,000
4.	75,000
5.	80,000
6.	20,000
7.	3,750
8.	3,750
9.	16,250
10.	8,250
11.	10,000
12.	20,000
13.	15,000
14.	25,000
15.	4,500
16.	45,000
17.	40,000
18.	30,000
19.	2,250
20.	1,000
21.	7,500
22.	1,750
23.	35,000
24.	3,750
25.	3,000
26.	3,000
27.	20,000
28.	25,000
29.	30,000
30.	30,000
31.	10,000
32.	15,000
33.	30,000
34.	40,000
35.	55,000
36.	35,000
37.	20,000
38.	7,500
39.	3,750
40.	6,000
41.	20,000
42.	3,000
43.	1,000
44.	1,500
45.	2,500
46.	6,250
47.	70,000
48.	10,000
49.	2,250
50.	4,550

1/1
ग.सि.का
KAD
KAD

51.	7,500
52.	7,500
53.	3,000
54.	35,000
55.	10,000
56.	10,000
57.	15,000
58.	1,500
59.	10,000
60.	3,000
61.	3,750
62.	2,250
63.	2,500
64.	7,500
65.	3,750
66.	55,000
67.	5,250
68.	70,000
69.	7,500
70.	20,000
71.	35,000
72.	30,000
73.	35,000
74.	2,500
75.	6,250
76.	5,000
77.	7,500
78.	2,000
79.	20,000
80.	10,000
81.	20,000
82.	30,000
83.	2,500
84.	45,000
85.	15,700
86.	47,100
87.	56,250
88.	56,250
89.	66,250
90.	78,750
91.	18,750
92.	20,000
93.	15,000
94.	10,000
95.	3,750
96.	10,000
97.	20,000
98.	5,000
99.	10,000
100.	10,000
101.	10,000
102.	5,000
103.	750
104.	1,250
105.	5,000
106.	7,500
107.	5,000
108.	15,000

1/2/21 
 1/2/21 

109.	15,000
110.	15,000
111.	10,000
112.	1,500
113.	30,000
114.	10,000
115.	20,000
116.	40,000
117.	1,000
118.	2,500
119.	5,000
120.	2,000
121.	750
122.	15,100
123.	40,000
124.	2,000
125.	5,750
126.	2,500
127.	2,000
128.	15,000
129.	15,000
130.	3,750
131.	2,500
132.	3,500
133.	5,000
134.	10,000
135.	10,000
136.	15,000
137.	12,500
138.	4,500
139.	2,500
140.	12,500
141.	20,000
142.	11,250
143.	40,000
144.	25,000
145.	40,000
	24,78,200

418/19
KAV

CSPT,
KAO